प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक- जनवरी 17,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 136 वाहनों का चालान, 15 वाहनों से कुल 21000/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए धारा 290 भा0द0वि0 मे 05 व धारा 110 जी0 जा0फौ0 मे 11 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त भरत राना पुत्र तोप जंग राना नि0 वार्ड न0 4 गांव पालिका कपूरकोट थाना कपूरकोट, सल्यान, नेपाल राष्ट्र के कब्जे से 20 शीशी अंग्रेजी शराब (प्रत्येक शीशी मे 750 ml) बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-15/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हबीब खान पुत्र अपील खान नि0 वार्ड न0 13 विस्मिलनगर थाना सोनौली जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- nil/21 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से 12 बोरी यूरिया खाद व 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- nil/21 धारा- 11 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***पशु क्रूरता नि0 अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण **1**. बलजीत पुत्र श्रीकान्त नि0 पचफेड़ा थाना नेबुआ-नौरंगिया जनपद कुशीनगर **2**. रानलखन पुत्र रामप्यारे नि0 गेड़हवा थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 03 राशि भैंस व 01 राशि पड़वा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 21/21 धारा- 11 क पशु क्रूरता नि0 अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण **1**. गुड्डू उर्फ विजय पुत्र बाबूराम यादव 2. नन्दराम पुत्र चन्नर नि0गण रामनगर **3**. हैदर पुत्र जब्बार नि0 हनुमानगढ़िया थाना नौतनवा जनपद महराजगंज के कब्जे से 20 नग साखू का अवैध पटरा बरामद होने पर वन कर्मियों द्वारा जांच के दौरान गाली व धमकी देते हुये सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 10/21 धारा- 332/504/506/ भा0द0वि0, 26 A फारेस्ट एक्ट व 27/29/51(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-09 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।**

जनपद में 16/17-01-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 15 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।